1339

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
01 APR 2023
Dairy No. 1407
Signature

सेवामें,

माननीय मुख्य न्याय पीठ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य शाखा दिल्ली

विषय :– जनहित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 209/2022 मेघसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में के में सुनवाई आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.04.2023 के सन्दर्भ में।

प्रसंग :– (1) प्रकरण संख्या 209/2022 में न्यायालय द्वारा रणधीसर पहाड़ी की वस्तु स्थिति जानने हेतु गठित जांच ऐजेन्सियों द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्यहीन, भ्रामक तथा गुमराह करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :– (2) दिनांक 27.010.2022 को केन्द्रीय टीम सर्वे हेतु रणधीसर पहाड़ी पहुंची। हम ग्रामीणों को मौके पर बुलाया गया, हमारे द्वारा रणधीसर पहाड़ी पर हो रहे अवैद्य खनन के बारे में पूर्ण लिखित व मौखिक साक्ष्य सर्वे दल को मौके पर दिखाये तथा बयान पंजीबद्ध करवाये। बाद में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्रामीणों की अनदेखी कर खनन अधिकारियों व माफियाओं के पक्ष में एक पक्षीय रिपोर्ट पेश की गई जो कि हम ग्रामीणों को स्वीकार्य नहीं है।

प्रसंग :– (3) हम ग्रामीण माननीय न्यायालय से गुजारिश करते है कि इन तीनों सर्वे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र जांच ऐजेन्सी जैसे की न्यायायिक जांच या फिर महालेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार की जांच ऐजेन्सी या सीबीआई जांच से पुनः सम्पूर्ण खनन घोटाले की जांच करवाई जाये ताकि यहां के निवासियों को भारतीय संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों–सुखमय जीवन जीने के अधिकारों की सुरक्षा हो सके तथा इन तीनों सर्वे रिपोर्टों के झूठ का भण्डाफोड़ हो सके तब तक निर्णय को स्थगित रखा जावे।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार निवेदन है कि रणधीसर पहाड़ी पर हो रहे अवैद्य खनन को लेकर प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तथा न्यायालय के आदेश पर तीन बार विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा पहाड़ी का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विगत तारीख पेशी पर प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पूर्व में प्रेषित सर्वे रिपोर्ट में बहुत ही भ्रामक तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसलिए बिन्दूवार विगत सर्वे रिपोर्ट पर ग्रामीणों की आपतियां इस प्रकार है –

1. पूर्व में चार सदस्यीय सर्वे दल द्वारा दिनांक 06.06.2022 व 07.06.2022 को रणधीसर पहाड़ी का सर्वे किया गया। ग्रामीणों को सर्वे के दौरान सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, खनन माफियाओं के साथ होटलों में अच्छी आवभगत व सेवा चाकरी करवा कर कथित तौर पर 1800000/– रूपये में भ्रामक, तथ्यहीन, झूठी रिपोर्ट बना कर माननीय न्यायालय में पेश कर दी। इस बाबत हम ग्रामीणों ने माननीय न्यायालय के समक्ष

1340

इस सर्वे रिपोर्ट पर आपतियां दर्ज करवाई तो न्यायालय ने दिनांक 22.08.2022 के आदेश में केन्द्रीय सर्वे दल का गठन कर पुनः सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये।

2. दूसरे सर्वे दल ने दिनांक 01.09.2022 से न्यायालय के आदेश के भय स्वरूप अपने स्तर पर 7 सदस्यीय सर्वे टीम का गठन कर बिना न्यायालय के निर्णय के अपने बचाव में सारी खनन गतिविधियां बंद कर खनन पट्टों को विभिन्न आक्षेप लगाते हुये खण्डित कर, राजहित में जब्त कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी। ऐसा क्यों ? यदि खनन विभाग के सरकारी अधिकारी साहूकार होते तो प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध होने के बाद ही सर्वे क्यों किया ? अपने विभागीय नियमानुसार प्रतिवर्ष सर्वे क्यों नहीं किया, अवैद्य खनन के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? ग्रामीणों की शिकायतों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया ? इन सारे चोरों ने न्यायालय के भय से खनन माफियाओं के खिलाफ आधी–अधूरी कार्यवाही की न कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से। इस पूरे गिरोह का यह कृत्य प्रकृति के प्रति अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है।

माननीय न्यायालय के आदेश व ग्रामीणों द्वारा प्रथम दो सर्वे रिपोर्टों का प्रतिकार करने पर तिसरी केन्द्रीय सर्वे टीम दिनांक 27.10.2022 को रणधीसर पहाड़ी पर पहुंची जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के एक माह पश्चात पहुंची, फिर अपनी जांच रिपोर्ट चार माह पश्चात अर्थात दिनांक 23.02.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की। इसका सीधा–सीधा मतलब है कि इतना समय किस लिये लिया गया ? किसका इंतजार किया गया ? सर्वे टीम द्वारा चार माह तक सर्वे रिपोर्ट को दबा कर रखना ग्रामीणों व प्रकृति के लिए घातक साबित हुआ। इस सर्वे टीम से ग्रामीणों को न्याय की उम्मीद थी लेकिन यह सर्वे टीम भी लकीर का फकीर बन कर ग्रामीणों द्वारा मौके पर प्रस्तुत किये गये तथ्यों, साक्ष्यों व दलीलों का एक भी बिन्दू जांच प्रतिवेदन में शामिल नहीं कर खनन अधिकारियों एवं खनन माफियाओं के हितबद्ध जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। तीन–तीन बार हुये सर्वे में ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है, हर बार गरीब आदमी ही पिसता है, अब इस भ्रष्ट लोकतंत्र से घृणा होने लग गई है, इस भ्रष्ट लोकतंत्र से तो राजशाही ही अच्छी थी, कम से कम गरीब की सुनवाई तो हो जाती थी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक एवं मुख्यतः अनुच्छेद 12 से 21 तक में भारत के नागरिकों को दिये मूल अधिकारों एवं जीने के लिए 41 श्रेणी में अधिकारों को परिभाषित किया है जिसमें यह सब आता है। इन तीनों जांच ऐजेन्सियों ने संविधान में प्रदत नागरिकों के मूल अधिकारों की घोर अवहेलना कर, केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर भ्रष्ट अधिकारियों व खनन माफियाओं के मूल अधिकारों को रक्षित करने वाली सर्वे रिपोर्ट बनाई। ग्रामीणों के मूल अधिकारों का सरेआम हनन हो रहा है। इसलिए हम ग्रामीण अपने मूल अधिकारों की रक्षार्थ माननीय न्यायालय से एक बार पुनः गुजारिश करते है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षार्थ किसी स्वतन्त्र जांच ऐजेन्सी जैसे की न्यायायिक जांच या फिर महालेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकारी ऑडिट ऐजेन्सी या सीबीआई जांच से पुनः सम्पूर्ण खनन घोटाले की जांच

1341

करवाई जाये तथा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस प्रकरण में निर्णय स्थगित रखा जावे। केन्द्रीय जांच टीम जब रणधीसर पहाड़ी पर सर्वे करने पहुंची तो इनके पास एक डायरी व दो सफेद कागजों के अलावा कुछ नहीं था, जैसा कि न्यायालय निर्देशानुसार एवं निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अक्टूबर 2016 के मुताबिक सर्वे नहीं होना दर्शाता है कि उन्होंने महज खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया। रणधीसर पहाड़ी पर ग्रामीणों के मूल अधिकारों के साथ यह अधिकारी एवं खनन माफिया मिल कर किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे है, उसकी बिन्दूवार रिपोर्ट आपकी सेवा में अवलोकन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय न्यायालय से आग्रह है कि संजीगदगी से ग्रामीणों का पक्ष सुना जावे।

(1) हम ग्रामीण बार–बार रो रहे है कि आबादी क्षेत्र के नजदीक महज 500 मीटर के दायरे में ही यह अवैद्य खनन, बिना पैरा मीटर के अत्यधिक गहराई में ड्रिल कर बारूद से धरती कंपाने वाला भंयकर विस्फोट एवं क्रेशर मशीनों का 24 घण्टे शोरगुल भरा संचालन हो रहा है, इस बिन्दू को आज तक किसी भी सर्वे दल ने संज्ञान में लेकर रिपोर्ट में शामिल नहीं किया तथा जानबूझ कर ग्रामीणों के साथ अन्याय किया व ग्रामीणों के संविधन प्रदत मूल अधिकारों की घोर अवहेलना की।

(2) क्रेशर मशीनों पर दिखावे के लिए कुछ प्रदूषण नियन्त्रण के इंतजाम किये गये है, परन्तु प्रतिदिन प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय कोई नहीं करता और ना ही इन मानकों की पालना की जाती है और ना ही प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का कोई अधिकारी पहाड़ी पर बैठ कर इन मानकों की सख्ती से पालना करवाता है, ऐसे में प्रतिदिन सारी समस्याओं को झेलना ग्रामीणों को ही पड़ता तथा प्रतिदिन डस्ट ग्रामीणों की ही सांसो में घुलती है, सर्वे दल या विभाग के अधिकारी तो चंद घण्टे ही इस दंश को झेलते है। ग्रामीणों तो तिल–तिल कर रोज करते है। ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण की शिकायत करने पर अधिकारी क्रेशर संचालकों को सूचना देकर आते है जिससे क्रेशर संचालन कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, अधिकारी अपनी औपचारिकता पूरी कर चले जाते है। नतीजा कुछ नहीं फिर वही ढाक के तीन पात, कोई निगरानी तंत्र नहीं है जिसको ग्रामीण भुगत रहे है। ग्रामीणों का क्रेशर संचालक कहना नहीं मानते, जीवन रक्षा के लिए ग्रामीण द्वारा आवाज उठाई जाती है तो धमकियां मिलती है। खनन माफियाओं के हौंसले किस कदर बुलन्द है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ग्रामीणों में भय का वातावरण है।

(3) रणधीसर पहाड़ी के ग्रामीणों के सिर पर क्रेशर मशीनों का संचालन 24 घण्टे होता है। 50 क्रेशरों के ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीणों की रातों की नींद हराम हो रखी है, छोटे–छोटे बच्चे रात्रि में निंद्रा से जगर कर सहम जाते है, डर कर रोने लगते है। इस ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीण, महिलाएं व बच्चे अनिद्रा के कारण कुपोषण की भेंट चढ़ रहे है। तीनों सर्वे टीमों ने गांव कें ग्रामीणों की चौपाल लगा कर इस बिन्दू को जांच में शामिल किया ? क्या इसकी रोकथाम व ग्रामीणों के सुखमय जीवन के लिए न्यायालय को कोई सुझाव दिया ? ग्रामीणों के जीवन में इस ध्वनि प्रदूषण का कितना नकारात्मक असर

1342

हो रहा है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया ? क्या शांतिपूर्ण जीवन जीना ग्रामीणों का मूल अधिकार नहीं है ?

(4) गर्मी के मौसम में जब ग्रामीण अपने–अपने घरों में बाहर खुले में सोते है, बाहर रात्रि में क्रेशरों का संचालन होता है, प्रदूषण नियन्त्रण के कोई उपाय नहीं करते। ऐसे में क्रेशरों के संचालन से उड़ने वाले सूक्ष्म धूल के कण रात्रि में सोये हुये ग्रामीणों के चेहरों पर साफ दिखाई देते है। इस बात से अनुमान लगा सकते है कि यह सूक्ष्म धूल कण श्वसन क्रिया के जरिये रोज ग्रामीणों के फेफड़ों को तिल–तिल कर कितना नुकसान पहुंचा रहे है। किसी भी जांच ऐजेन्सी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो केवल क्रेशर संचालक द्वारा जायज–नाजयज तरीके से प्राप्त प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की स्वीकृति व पर्यावरणीय स्वीकृति का कागज देख कर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। ऐसी स्वीकृतियां तो अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क लेकर 100 किमी दूर बैठे ही मौका देखा बिना ही जारी कर दी जाती है, क्या इससे प्रमाणित हो जाता है कि क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाया जा रहा है ? क्या कागज के एक टुकड़े से प्रदूषण फैलाने का लाईसेंस मिल जाता है ? सरकारी औपचारिता के तौर पर तो मिल सकता है लेकिन इससे आड़ में ग्रामीणों का जीवन तो बर्बाद हो रहा है। क्यों यहां के ग्रामीणों को शांतिपूर्ण नींद लेने का अधिकार नहीं है ? क्यों किसी ग्रामीण को अपने साफ–सुथरे आवास, निवास का अधिकारी नहीं है ? किसी भी जांच दल ने ग्रामीणों के इस दर्द व मूल अधिकार के बारे में संज्ञान नहीं लिया, ऐसा क्यों ? क्या सरकारी कानून में ग्रामीणों की सांसों का कोई मोल नहीं है ? क्या ग्रामीणों के कोई मानवाधिकार नहीं है ? सरकारी लीपापोती के नाम पर क्या ग्रामीणों से यह क्रूरता नहीं है ? सारे सर्वे दल यहां पर मौन क्यों है ?

(5) अकुशल श्रमिक, बगैर तकनीकी कार्मिकों के खानों के अन्दर गहराई में जाकर आबादी क्षेत्र के पास बिना किसी पैरामीटर के 11 फीट ड्रिल से होल लगा कर बिना अनुमान के विस्फोटक एवं बारूद भर कर ब्लास्ट करते है तो ऐसा महसूस होता है कि कही 3.5 रियेक्टर पैमाने का भूकम्प तो नहीं आ गया है। ऐसे धमाकों से मकानों की नींवें हिल जाती है, खिड़कियां बजने लगती है, छोटे बच्चे डर कर दुबक जाते है। पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश रिहायशी मकानों में दरारे आ चुकी है। क्या इस मसले पर सर्वे ऐजेन्सियों ने ग्रामीणों के दुःख–दर्द को समझने का प्रयास किया। क्या यह ग्रामीण के मूल अधिकारों का खुला हनन नहीं हो रहा ?

(6) रणधीसर ग्राम के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के पास यह सारी अवैद्य खनन गतिविधियां, अवैद्य ब्लास्टिंग व क्रेशरों का संचालन होता है। इस ध्वनि व वायु प्रदूषण से बच्चों के मनोभाव व बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता होगा, बच्चे जिस शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करना चाहते है, अवैद्य खनन गतिविधियों के कारण वह अवसर इनसे छीन जाता है, बचपन भी छीना जा रहा है। इस प्रदूषित परिवेश में बच्चों का मानसिक, आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से कितना नुकसान होता होगा, इसका अन्दाजा लगाना भी मुश्किल है। इन बिन्दूओं से सर्वे टीमों को कोई

1343

लेना नहीं है, क्या सर्वे दल जांच के नाम पर इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर रहे है ? क्या इन बच्चों के बाल अधिकारों व शिक्षा के अधिकारों से खनन माफिया व अधिकारी खिलवाड़ नहीं कर रहे है ?

(7) रणधीसर पहाड़ी के अतिप्राचीन धार्मिक व ग्रामीणों के आस्था स्थलों के पास भी यह अनैतिक अवैद्य खनन गतिविधियां, अवैद्य ब्लास्टिंग, क्रेशर मशीनों का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों की लोक परम्परा व आस्था के प्रतीक होली धोरा पर ही खनन उपयोगकर्ता ऐजेन्सी ने राजेन्द्र पंवार नामक खनन माफिया को नियमों व जनभावना से इतर जाकर खनन पट्टा आंवटित कर दिया। ऐसा इसहलए क्योंकि होली धोरा का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ऐसे में माननीय न्यायालय यह बताये कि भारत वर्ष में ऐसे कितने होली धोरा है जिनके सरकारी दस्तावेज है ? क्या हम ग्रामीणों की धार्मिक आस्था के साथ जीता जागता खिलवाड़ नहीं है। क्या जांच ऐजेन्सियों ने मौके पर जांच कर ग्रामीणों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया ? क्या यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है ? क्यों जांच ऐजेन्सियों ने इस खनन को निरस्त करने की अनुशंषा नहीं की ? क्या यह हमारी धार्मिक भावनाओं का हनन नहीं है ?

(8) रणधीसर पहाड़ी पर रियासतकाल से स्थित मां जगदम्बा मंदिर जाने वाले आम रास्ते को खनन माफियाओं द्वारा खुर्द–बुर्द नहीं किया गया ? यह रास्ता सरकारी जमीन में होकर मंदिर दर्शनार्थ गुजरता था। इस रास्ते को खनन माफिया घीसाराम खटीक द्वारा अवैद्य खनन कर खुर्द–बुर्द किया जाकर इसका वजूद ही मिटा दिया गया, बीच रास्ते में अपना अवैद्य क्रेशर स्थापित कर इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा जांच ऐजेन्सियों को बताये जाने के बावजूद भी इस बिन्दू को जांच में शामिल नहीं करना क्या साबित करने वाला है ? अति प्राचीन रास्ते को बंद करना कहां तक न्यायोचित है ? क्या यह ग्रामीणों व दर्शनार्थियों के अधिकारों का हनन नहीं है ?

(9) रणधीसर पहाड़ी की तलहटी में स्थित पूर्ण भगत, भोलेनाथजी की समाधि एवं धर्मशाला, मां जगदम्बा मंदिर की सीढ़िया, के आस–पास जो खनन पट्टे स्वीकृत है, उनको निरस्त करने के लिए बार–बार खनन विभाग को लिखा गया परन्तु इनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। बारूद ब्लास्ट के कारण होने वाले भूस्खलन, चट्टानों के दरकने के कारण तथा पत्थरों के उछलने से कई बार यह धार्मिक आस्था के स्थल खण्डित हो चुके है। श्रद्धालुओं के सिर पर हरदम खतरा मण्डराता रहता है। क्या सर्वे टीमों ने इस बिन्दू को अपनी जांच में शामिल कर इन खनन पट्टों को निरस्त करने की अनुशंषा की ? क्यो नहीं की ? क्या यह आमजन की धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन नहीं है ?

(10) रणधीसर ग्राम से धातरी, सिमसिया, कस्बा राजलदेसर एवं ग्रामवासियों की कृषि भूमि तक जाने वाले सरकारी कटाणी रास्ते को इन खनन माफियाओं ने अवैद्य खनन कर–करके पूर्ण रूप से खुर्द–बुर्द कर दिया। उपयोगकर्ता ऐजेन्सी को बार–बार लिख कर देने के उपरान्त भी वह तो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उन्हें तो भारतीय मुद्रा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीण भुगत रहे है, रास्ते से हाथ ही धोना पड़ा है। वर्तमान में सरकारी रास्ता खुर्द–बुर्द होकर अस्थाई

1344

रूप से मोहन महाराज के क्रेशर की निजी भूमि में गुजर रहा है। यदि क्रेशर धारक ने अपनी भूमि पर दीवार बना ली या तारबंदी कर ली तो ग्रामीणों का क्या होगा। सर्वे टीमों ने मौका दिखाने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट में इस बिन्दू को शामिल नहीं करके क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया है ? क्या ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता बनाने का कोई सुझाव दिया ? आम नागरिकों को एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने से रोकना क्या यह आपराधिक कृत्य नहीं है ? क्या यह ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ? किसी खनन माफिया, किसी भी सरकारी अधिकारी, या किसी भी सर्वे दल को ग्रामीणों की यह पीड़ा बताने के बावजूद भी नजर नहीं आई ? कोई मानव होकर एक–दूसरे के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकता है ? दिल्ली, जयपुर से आने वाले अफसरों को भोले भाले ग्रामीण भगवान मानते है, अपना दर्द बताते है लेकिन शायद यह भगवान भी कानून की तरह अंधा है।

(11) प्रकृति ने मानव को रणधीसर पहाड़ी के रूप में अमूल्य हीरा प्रदान किया था, उसको इन खनन माफियाओं व अफसरों ने अपने स्वार्थपूर्ति हेतु नष्ट कर दिया। पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग है, पर्यावरण व प्राकृतिक सम्पदा का नुकसान किया, जिसकी भरपाई अब संभव नहीं है। उच्च व उच्चतम न्यायालयों ने समय–समय पर स्पष्ट निर्देश दिये है कि प्रकृति द्वारा प्रदत कोई भी चिन्ह् मिटाया नहीं जा सकता, परन्तु यहां जो शेष अवशेष रणधीसर पहाड़ी बची है उस पर इन खनन माफियाओं व अफसरों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। ये लोग इसे नहीं छोड़ने वाले है। इसका नामो निशान ही मिटाना चाहते है। जब इस प्राकृतिक सम्पदा का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा तो क्या यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है। सरकारी राजस्व के नाम पर हम हमारी निजी विरासत को पूर्ण रूप से नहीं मिटाते फिर पहाड़ी के साथ ऐसा जघन्य व्यवहार क्यों ?

(12) वर्तमान में रणधीसर पहाड़ी का जो भाग शेष अवशेष के रूप में बचा है उसका कारण है दो पुराने चिन्ह् एक बीएसएनएल का टावर व दूसरा मां जगदम्बा का मंदिर। अगर यह दो चिन्ह् नहीं होते तो अब तक पहाड़ी का नामो निशान ही मिटा दिया जाता। पहाड़ी का जो भाग शेष बचा है उसके चारों ओर का पूरा प्राकृतिक स्वरूप तो नष्ट हो चुका है तलहटी में 250–350 फीट गहराई तक खोखला कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में यह पहाड़ी कैसे अपना वजूद संभालेगी ? कभी पहाड़ी गिर गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा ? हम ग्रामीण बार–बार रो–रोक कर यह लिख रहे है कि किसी की जिम्मेवारी तो तय की जाये, क्या जांच ऐजेन्सियों को इस बिन्दू को जांच में शामिल कर किसी की जिम्मेवारी तय करने का माननीय न्यायालय को सुझाव दिया ? क्या यह प्रकृति प्रदत मौलिक अधिकारी का हनन नहीं है ?

(13) सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू ने अपने आदेश में अंकित किया है कि वर्ष 2000 में ग्रामीणों की मांग पर सर्वे किया गया तो 42 खनन पट्टों में से 38 खनन पट्टा धारकों ने अपनी स्वीकृत सीमा से बाहर जाकर अवैद्य खनन किया जिस पर जुर्माना कायम किया गया। 25 खनन पट्टा धारकों ने

1345

जुर्माना भरा व 13 खनन पट्टा धारकों ने जुर्माना राशि नहीं भरी जिनमें वर्ष 2000 से वर्तमान तक खनन कार्य बंद है। यह 38 खनन पट्टे धारक कौन है ? इन्होंने कितने विस्तार एवं गहराई तक अवैद्य खनन किया और कितने मीटर में किया। आपके आदेश से गठित तीनों ही सर्वे दल ने बिना तकनीकी उपकरणों के सर्वे किया तथा किस आधार पर अवैद्य खनन की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की ग्रामीणों की समझ से परे है। अब भी अवैद्य खनन की वास्तविक जांच बाकी है। 13 खनन पट्टे वर्ष 2000 से अब तक बंद पड़े है। यह 13 खनन पट्टे धारक कौन है इनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। 13 खनन पट्टे जो वर्ष 2000 से बंद थे इनमें तो अब तक अवैद्य खनन होता आया है। संचालित 25 खनन पट्टो व 13 बंद खनन पट्टों में खनन का अन्तर तो होना चाहिए, परन्तु मौके पर ऐसा कुछ नहीं है, सब खानों में बराबर खनन हुआ है, तो बंद खानों में खनन का जिम्मेदार कौन है ? सर्वे टीमों व जांच दल द्वारा इस मसले पर मौन रह कर ग्रामीणों व माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है।

(14) वर्ष 2000 में शिकायत करने वालो का मुंह बंद कर दिया गया तत्पश्चात वर्ष 2009 तक कोई शिकायत नहीं हुई और अवैद्य खनन चलता रहा, खनन विभाग ने स्वयं अपने स्तर पर पहाड़ी का या अवैद्य खनन का सर्वे किया नहीं। 15 अगस्त 2009 को अनुबंध समाप्त होने पर यहां पर खनन बंद हो गया व वर्ष 2009 तक हुआ अवैद्य खनन भूतकाल के गर्भ में दफन हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान 7.38 हैक्टेयर में अवैद्य खनन होना सार्वजनिक किया। इनकी कौन सुने ? क्या तीनों ही जांच ऐजेन्सियों ने इस बिन्दू पर जांच का कोई सुझाव दिया ? सम्पूर्ण प्रकरण में इस अवैद्य खनन के बाबत कोई कार्यवाही नहीं गई।

(15) 20 जून 2011 में इन खनन माफियाओं ने अपने रसूख का प्रयोग कर आगामी 20 वर्षों के लिए खनन की पुनः स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। पुनः खनन के आदेश केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के थे जिन्होंने 18 शर्तोधीन यह स्वीकृति प्रदान की थी। यहां पर इन शर्तों को ताक पर रख कर अंधा–धुंध अवैद्य खनन किया गया तथा जम कर प्रकृति व प्राकृतिक परिवेश की धज्जियां उड़ाई गई। सन् 1973 से लेकर अब तक पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई हेतु किसी ने संजीदगी से प्रयास नहीं किया। प्रकृति प्रदत सम्पूर्ण वन सम्पदा नष्ट हो गई जिसका खामियाजा आज यहां के ग्रामीण भुगत रहे है। क्या तीनों जांच ऐजेन्सियों ने इस विषय पर माननीय न्यायालय को कोई सुझाव दिया ? क्या यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है ? अब जब प्रकरण माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पहुंचा है तो आनन–फानन में निजी कृषि भूमि को अनुबंध पर लेकर 3.5 फीट के पौधे लगा कर यह दर्शाया जा रहा है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सजग है जबकि वास्तविकता यह है कि पर्यावरणीय अपराध को वृक्षारोपण के नाम पर छिपाने की नाकाम कोशिस की जा रही है। क्या प्राकृतिक परिवेश के नाम पर यह लीलापोती सर्वेदलों को नजर नहीं आई ? पुनः खनन स्वीकृति के केन्द्रीय आदेश की शर्त में यह अंकित है कि खनन क्षेत्र के चारों तरफ हरित पट्टी विकसित की जाये। खनन पट्टों के अन्दर व बाहर, सड़क के दोनों ओर, क्रेशर मशीनों के चारो ओर हरित पट्टी

1346

विकसित की जाये ताकि प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को रोका जा सके और पर्यावरणीय परिवेश सुरक्षित रहे। क्या इस खनन क्षेत्र के बाहर दूर जाकर दूसरी जगह खेत में पेड़ लगाने से प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को रोका जा सकता है ? यदि विगत 50 सालों में खनन माफियाओं व अधिकारियों द्वारा पर्यावरण के प्रति सजगता बरती जाती तो ना तो पर्यावरण का नुकसान होता और ना ही अवैद्य खनन होता। अब इन विगत वर्षों के प्राकृतिक परिवेश की दुर्गति की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, सिवाय सरकारी लीपापोती करने के अलावा कुछ नहीं है। अधिकारी स्वयं प्रकृति के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे है। तीनों सर्वे दल व जांच ऐजेन्सियों ने इस बिन्दू को बढ़ा चढ़ा कर न्यायालय में पेश तो कर दिया लेकिन वास्तविकता से परे हट कर क्या इन रिपोर्ट के आधार पर पिछले 50 साल के पर्यावरणीय परिवेश के नुकसान की भरपाई हो सकती है ? क्या सर्वे दल ने ऐसा कोई अद्भुत सुझाव न्यायालय को दिया है ? सिवाय लीपापोती के कुछ नहीं किया गया है। प्रकृति के अपराधियों पर कार्यवाही के लिए क्या अनुशंषा सर्वे दल द्वारा की गई ?

(16) वर्ष 2012 में फिर अवैद्य खनन की शिकायत हुई तो सर्वे किया गया तो 33 खनन पट्टों में चिन्हित क्षेत्र से बाहर जाकर अवैद्य खनन करना पाया गया। पुनः जुर्माना लगाया गया। इसमें से 18 खनन पट्टे धारकों ने अवैद्य खनन का जुर्माना भरा 15 खनन पट्टे धारकों ने जुर्माना आज तक नहीं भरा। इन 15 खनन पट्टों को वर्ष 2012 से बंद होना बताया है। इस बिन्दू में प्रार्थी के वहीं सवाल है जो बिन्दू संख्या 13 में अधूरे सवालों का जवाब ढूंढ रहे है।

(17) वर्ष 2021 में दो खानों को खण्डित किया गया। क्यों ?

(18) दिनांक 08.09.2022 को 21 खानों को खण्डित किया गया ? क्यो ?

(19) खनन अधिकारियों की कार्यप्रणाली यहां पर पूर्णतयाः सवालों के घेरे में है कि वर्ष 2000 में 13 खाने, वर्ष 2012 में 15 खाने, वर्ष 2021 में 2 खाने, वर्ष 2022 में 21 खाने खनन विभाग द्वारा निरस्त की गई। इनके मुताबिक निरस्त खानों की संख्या 51 होती है जबकि रणधीसर पहाड़ी पर खनन विभाग की कुल 42 खाने ही स्वीकृति है, फिर यह अतिरिक्त 9 खानें कहां से आ गई ? विभाग स्वयं के बनाये आंकड़ों के जाल में उलझ चुका है।

(20) 1 सितम्बर 2022 को 7 सदस्यीय सर्वे टीम का गठन किया गया तथा इस टीम ने एक सप्ताह तक रणधीसर पहाड़ी की खानों का निरीक्षण किया तथा निर्णय दिया कि रणधीसर पहाड़ी पर पूर्व में स्वीकृति कुल 42 खाने ही है। जिसमें से 1 खनन पट्टे को 2010 में बद कर दिया गया, 2 खनन पट्टों को वर्ष 2021 में बंद कर दिया गया तथा 35 खनन पट्टों को दिनांक 09.09.2022 को बंद किया गया, 02 खनन पट्टों को बंद करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंषा की गई है। अब इस सर्वे रिपोर्ट पर गौर किया जाये तो 1+2+35+2 कुल 40 खनन पट्टे ही होते है। अब कुल स्वीकृत 42 में से 2 खनन पट्टे कहां गायब हो गये ? यह कैसी सर्वे रिपोर्ट ? समझ से परे है।

1347

(21) दलितों पर अत्याचार का गढ़ बनी रणधीसर पहाड़ी– रणधीसर पहाड़ी पर जब सन् 1973 से खनन पट्टों का आवंटन किया गया तो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के तहत खनन पट्टों का आंवटन किया गया परन्तु सक्षम नहीं होने के कारण इनका फायदा खनन माफियाओं ने उठाया परन्तु जिन खनन पट्टे धारकों के साथ बहुत अन्याय हुआ, हमारे द्वारा उनके बारे में बार–बार बहुत लिखे जाने के उपरान्त भी किसी जांच ऐजेन्सी ने इस बिन्दू को जांच में शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों ? क्या यह ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं है ?

(22) खनन पट्टा संख्या 36/1987 जो कि अन्त्योदय योजना के तहत मांगीलाल पुत्र टोडाराम नायक रणधीसर के नाम से आंवटित थी, सक्षम नहीं होने के कारण आज से 30 वर्ष पूर्व ही उक्त लीज को सरकार को सरेण्डर कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक यह खान सरकारी सम्पति थी। इस खान के पड़ौसी खनन माफिया हरिराम कीलका व सहायक खनिज अभियन्ता चूरू ने बराबर–बराबर अवैद्य खनन कर सम्पूर्ण खनन पट्टे को ही खा गये। इतनाही नहीं स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अंधा–धुंध अवैद्य खनन कर दिया तथा रणधीसर से राजलदेसर जाने वाले कटाणी रास्ते को भी चट कर गये। इस अवैद्य खनन का उपयोगकर्ता ऐजेन्सी ने आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं किया और ना ही तीनों जांच ऐजेन्सियों ने इस बिन्दू को अपनी जांच में शामिल किया। क्या यह गरीबों के साथ अन्याय नहीं है। अवैद्य खनन से इस लुप्त हुये खनन पट्टे 36/1987 के लिए किसी की जिम्मेदारी तो तय की जाये, और कुछ ना हो तो सरकारी राजस्व के नाम ही लीपापोती कर ली जाये।

(23) खनन पट्टा संख्या 54/1987 जो कि अन्त्योदय योजना के तहत गिरधारीराम मेघवाल निवासी रणधीसर के नाम आंवटित था। गिरधारीराम की मृत्यु की पश्चात उसकी पत्नी मैना देवी के नाम खनन पट्टे का नामान्तरण हुआ। लीज धारक मैना देवी को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम से कोई लीज चल रही है क्या ? अब लीज धारक मैना देवी के नाम 7701632/– रूपये की बकाया रिकवरी का नोटिस आया तो इस बात का खुलासा हुआ। वास्तविकता यह है कि मैना देवी आज भी एक मनरेगा श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। इस खनन पट्टे को खनन माफिया पवन कुमार एवं सहायक अभियन्ता, चूरू ने मिल कर खाया है। अब इस अवैद्य खनन की रिकवरी कौन भरे। विभाग अब इस बेवा औरत की चल अचल सम्पति खंगाल रहा है। इस बेवा के पास क्या है ? जीवन यापन के लिए गेंहूँ भी सरकार दे रही है जिससे पेट भराई कर रही है। इससे प्रमाणित होता है कि सर्वे टीम ने बताने के बावजूद भी इस गरीब की सुनवाई नहीं की। अगर सुनवाई की है तो न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया ? अगर न्यायालय में सच्ची रिपोर्ट पेश की है तो इस गरीब के हितों की रक्षार्थ क्या सुझाव दिये ?

(24) खनन पट्टा संख्या 40/1985 बीरबलराम पुत्र गणेशाराम बावरी निवासी रणधीसर के नाम से अन्त्योदय योजना में स्वीकृत था। यह लीज धारक जैसे–तैसे करके अपना गरीब गुजारा कर रहा था। अब विडम्बना देखिए कि इस गरीब लीज धारक के पास खनन अधिकारियों को देने के लिए सुविधा

1348

शुल्क के नाम पर कुछ नहीं था तो विभाग के अधिकारियों ने महज इस एक खनन पट्टे की गहराई एवं स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर कितने मीटर विस्तार में अवैद्य खनन किया गया सब दर्शा दिया जबकि इससे कही अधिक गहराई और विस्तार में अवैद्य खनन करने वाले अनेक खनन पट्टे है उनका जिक्र कहीं नहीं किया है। क्या इस गरीब की लीज का ही अधिकारियों ने वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है ? यदि हां तो अन्य लीजों का क्यों नहीं ? अन्य किसी लीज खण्डित करने के आदेश में नाप–जोख की यह बाते साफ–साफ क्यों नहीं लिखी ? क्या किसी सर्वे टीम ने इस पर गौर कर अधिकारियों के बयान लिये ? यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा सर्वे ?

(25) दिनांक 09.09.2022 को जब खनन पट्टों को खण्डित करने के आदेश जारी किये गये उनमें जो आक्षेप लगाये गये उनमें से एक महत्वपूर्ण आक्षेप यह है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर से नियुक्त तकनीकी सुरक्षा कार्मिक उपस्थित नहीं पाये गये। इनसे कोई पूछने वाला हो कि यह तकनीकी सुरक्षा कार्मिक यहां उपस्थित होते ही कब है ? हम ग्रामीणों को अब पता चला है कि ऐसा कोई कार्मिक भी होता है। श्रीमान्जी यह सच्चाई है तो वर्ष 1999 से वर्तमान तक इनका यहां रणधीसर पहाड़ी पर संधारित रिकार्ड, उपस्थिति रजिस्टर न्यायालय के पटल पर रखवाया जाये कि इन 23 वर्षों में खनन सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक, खान प्रबन्धकों ने क्या–क्या कार्य किये तथा कितने खान सुरक्षा नियमों की पालना करवाई तथा नियमों को नहीं मानने वाले खनन माफियाओं के विरूद्ध उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिए लिखा तथा अवैद्य खनन व ब्लास्टिंग के लिए किसी न किसी प्रकार का संज्ञान लिया होगा या इतने वर्षों से मूक दर्शक बना कर पहाड़ी की बर्बादी देख रहे है। इतने में ही इनका सफेद झूठ साबित हो जायेगा कि अजमेर कार्यालय में बैठे–बैठे ही रिपोर्ट बना दी या वास्तव में रणधीसर पहाड़ी पर जाकर अपनी आंखों से देख कर काम किया है। अगर ऐसा है तो इन लोकसेवकों के विरूद्ध भी सख्त संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाये जिन्होंने इस प्राकृतिक पहाड़ी को नष्ट करवाने में अपनी मौन स्वीकृति प्रदान की। यह लोकसेवक भी इस महाभ्रष्टाचार के सहभागीदार है। पिछले 23 सालों में रणधीसर पहाड़ी पर संधारित इनके रिकार्ड, उपस्थिति रजिस्टर व अन्य दस्तावेज नहीं मिलते है तो इनके द्वारा राजकोष से उठाया गया वेतन वसूल कर पुनः राजकोष में जमा करवाया जाये तथा इनके उच्चाधिकारियों की संलिप्तता नजर आये तो उनके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाये। क्या सर्वे टीमों को यह तथ्य नजर नहीं आये ? इन तथ्यों के बिना ही रिपोर्ट पेश कर दी ऐसा क्यों ?

(26) लीज खण्डित करने के एक आदेश में लिखा कि श्रमिकों के पास खान सुरक्षा उपकरण नहीं पाये गये। इनसे पूछा जाये कि यहां पर कोई कामगार श्रमिक की श्रेणी में आता तो है क्या ? श्रमिक की परिभाषा क्या होती है ? इनका श्रमिक कार्यालय से कोई सम्बन्ध है क्या ? सरकार ने श्रमिक कार्यालय क्यों खोल रखा है ? इनके क्या नियम व मापदण्ड है ? क्या आप लोगों ने श्रमिक नियमों कायदों की पालना करवाई ? फिर आप क्यों झूठा रोना रो रहे हो कि श्रमिक सुरक्षा उपकरण नहीं पाये गये। यह

सब बहाना है। इतने वर्षों से ये श्रमिक क्या सुरक्षा उपकरण लगा कर काम करने जाते थे, हमने तो कभी नहीं देखा। आपको अपना बचाव करना था इसलिए आज यह नियम कायदे सामने आ रहे है।

लिखना तो बहुत चाहता हूँ परन्तु लिखते–लिखते थक चुका हूँ। पिछले डेढ साल में लिख–लिख कर मेरी तो आंखे पथरा गई है। इन लिखित दस्तावेजों, साक्ष्यों, तथ्यों का क्या बंटा ? प्रकृति के लिए लड़ते–लड़ते मुझे क्या हासिल हुआ ? अभी तक तो मेरे व प्रकृति के हाथ खाली है। आगे परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रकरण में कुछ तो मेरी इज्जत रख ली जाये नहीं तो इस भ्रष्ट तंत्र में मेरी आत्मा चूर–चूर हो जायेगी। भविष्य में कोई भी व्यक्ति प्रकृति की रक्षा के लिए पहल नहीं करेगा और ना ही साहस जुटा पायेगा।

अतः केन्द्रीय सर्वे टीम द्वारा दिनांक 23.02.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट को अस्वीकार कर हमारा आपति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अंकित बिन्दूओं पर न्यायायिक जांचया फिर महालेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार की ऑडिट जांच ऐजेन्सी या सीबीआई जांच से पुनः सम्पूर्ण खनन घोटाले की जांच करवाई जाकर यहां के निवासियों को भारतीय संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों–सुखमय जीवन जीने के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर न्याय दिया जावे।

सधन्यवाद।

दिनांक 24-03-2023

प्रार्थी

मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम – रणधीसर
तहसील – सुजानगढ, जिला–चूरू
राजस्थान – 331505
मो. 9468566124
एवं ग्रामीण

हाल- पुगलरोड, हनुमान मन्दिर
के पीछे, मो. [illegible]
वार्ड नं० 20 बीकानेर (राज)